कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री बाबू लाल प्रजापत पुत्र श्री रणजीता प्रजापत, निवासी भांवता, तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान, 303325

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा

अपील सं0 66/2017

निर्णय   दिनांक 30.11.2017

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (ए0डी0एम0) दौसा को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, (ए0डी0एम0) दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा द्वारा तहसीलदार बसवा को प्रा0 पत्र स्थानांतरित करते हुए पत्रांकः आर0टी0आई0/2017/1155–1156 दिनांक 16.11.2017 द्वारा इस कार्यालय को पृष्ठांकित की जाकर अपीलार्थी को भी प्रति भिजवाई गई हैं। तहसीलदार बसवा जिला दौसा के पत्रांक आर0टी0आई0/2017/2190 दिनांक 21.11.2017 द्वारा कार्यालय उप तहसीलदार बॉदीकुई तहसील बसवा का पत्र दिनांक 13.11.17 की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न भिजवाते हुए अपीलांट श्री बाबू लाल प्रजापत को सूचना भिजवाना अंकित करते हुए पत्र भिजवाया गया है। उक्त पत्रादि पत्रावली में संलग्न हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक को वॉछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official